

TO BE PUBLISHED IN PART III<sup>A</sup> SECTION 3(ii) OF THE GAZETTE OF INDIA

GOVERNMENT OF INDIA  
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, dated 5-5-84.

NOTIFICATION  
(INCOME TAX)

No. 5793 (F.No. 261/9/84 ITJ): In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in supersession of all the previous Notifications in this behalf, the Central Board of Direct Taxes, hereby direct that Appellate Asstt. Commissioners of Income-tax of the Ranges specified in Column (2) of the Schedule below, shall perform their functions in respect of all persons and incomes assessed to Income-tax in the Income-tax Circles, Wards and Districts specified in the corresponding entry in column (3) thereof excluding all persons and incomes assessed to Income-tax over which the jurisdiction vests in Commissioners of Income-tax (A) :-

S C H E D U L E

S. No.	Range	Income-tax Circles/Wards/Distt.
1	2	
1.	Appellate Assistant Commissioner of Income-tax Range-I, Jalandhar	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. All Circles/Wards functioning at Jalandhar, except Distt. II Jalandhar, but including Central Circles, Investigation Circles and Survey Circles.</li> <li>2. Hoshiarpur Circle.</li> <li>3. All Circles/Wards functioning at Phagwara including survey circles/wards.</li> <li>4. Kapurthala Circle.</li> </ul>
2.	Appellate Assistant Commissioner of Income-tax Range-II, Jalandhar	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. All circles/wards in Distt. II, Jalandhar.</li> <li>2. Moga Circle</li> <li>3. Fariukot Circle</li> <li>4. Ferozepur Circle.</li> </ul>
3.	Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Bhatinda Range, Bhatinda	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bhatinda Circle.</li> <li>2. Abohar Circle.</li> <li>3. Muktsar Circle.</li> <li>4. Mansa Circle.</li> </ul>

Whereas, the Income-tax circles, wards or Districts or part thereof stands transferred by this Notification from one Range to another Range, appeals arising out of the assessments made in that Income-tax Circles, Ward or District or part thereof pending immediately before the date of this Notification before the Appellate Assistant Commissioner of the Range from whom the Income-tax Circle, Ward or District or part thereof is transferred to and shall be dealt with by the Appellate Assistant Commissioner

of Income-tax of the Range to whom the said Circles, Ward or District or part thereof is transferred.

Where all circles, wards, and Districts having headquarters at a particular place have been assigned to an Appellate Asstt. Commissioner, he will have jurisdiction in respect of Circles, Wards and Districts at these headquarters since abolished also.

This Notification shall take effect from 16-84.

(KALYAN CHAND)  
Under Secretary  
Central Board of Direct Taxes

To

The Manager,  
Government of India Press,  
Mayapuri, New Delhi.

Copy to :

1. The Commissioner of Income-tax, Jalandhar.
2. The Registrar, Income-tax Appellate Tribunal, Maharishi Karve Marg, Bombay.
3. ADI(RS & PR) Bulletin, New Delhi.
4. E.D. Section/Ad.VI Section.
5. ITCC Section (2 copies)
6. The Joint Secretary & Legal Adviser, Ministry of Law, Shashtri Bhawan, New Delhi.

(KALYAN CHAND)  
Under Secretary  
Central Board of Direct Taxes

भारत के राज्यों के धारा 11, छाड़ 3(11)में प्रकरणार्थी :

भारत राष्ट्रकार  
केन्द्रीय प्रस्ताव द्वारा लेटर

नई दिल्ली, दिनांक 5 अर्द, 1984

अधिकृतवाच

(अध्यकर)

सं 5793 (फासं 26।।/9/84-आकोन्दा) : आपकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपचारा (1), इवारा प्रदत्त व्यक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बारे में सभी पूर्ववर्ती अधिकृतवाचों का अधिकार लेते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोल, रहदावारा निश्चय देता है कि निम्नलिखित अनुसूची के सम्बन्ध (2) में विनिर्दिष्ट देंजों के अपीलीय सहायक आपकर आयुक्त, अध्यकर से निर्धारित उन सभी व्यक्तियों और आप के छोड़ कर जिन पर अधिकारिता आपकर अद्युक्त (अपील) में निहित हैं, अनुसूची के साथ (3) की तत्त्वांकी प्रतिजिञ्च में विनिर्दिष्ट अध्यकर परिषष्ठलों, वाड़ी और जिलों में आयकर से निर्धारित सभी व्यक्तियों और आप के संबंध में अपने लाभों का निर्वहण करेंगे ।

अनुसूची

फासं	देंज	अध्यकर परिषष्ठल/वार्ड/जिले
1	2	3
1.	अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, देंज 1, जलन्दार	1. जिला 11, जलन्दार को छोड़कर लेकिन केन्द्रीय परिषष्ठलों, जांच परिषष्ठलों और सर्वेक्षण परिषष्ठलों सहित जलन्दार में कार्य कर रहे सभी परिषष्ठल/वार्ड ।
2.	होरियारपुर परिषंहल ।	
3.	सर्वेक्षण परिषष्ठलों/वाड़ी सहित कागवाइा में कार्यरत सभी परिषष्ठल/वार्ड/	

1

2

3

2. अपीलीय सहायक आयकर  
आयुक्त, रेंज ।।, जालधार

3. अपीलीय सहायक आयकर  
आयुक्त, श्रीटंडा रेंज, श्रीटंडा

4. कपूरछता परिषङ्गल ।

1. जिल ।। में सभी परिषङ्गल/वार्ड

2. जोगा परिषङ्गल

3. फरीदकोह परिषङ्गल

4. मिरोजुर परिषङ्गल

1. श्रीटंडा परिषङ्गल

2. अबोहर परिषङ्गल

3. मुत्तसर परिषङ्गल

4. नालसर परिषङ्गल ।

यतः कोई आयकर परिषङ्गल, वार्ड अथवा जिला अथवा उसका कोई आग इस अधिसूचना द्वारा स्क.रेंज से किसी अन्य रेंज में अन्तरित हो जाता है, वहां उस आयकर परिषङ्गल, वार्ड या जिला या उसके किसी आग में किस गर्भनिर्धारणों से उत्पन्न होने वाली और उस रेंज के जिसे वह आयकर परिषङ्गल, वार्ड या जिला या उसका कोई आग अन्तरित हो, अपीलीय सहायक आयुक्त के समझ इस अधिसूचना की तारीछ से तर्काल पूर्व अनिर्णीत पड़ी अपीलें, उस अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त को अन्तरित की जाएंगी और उसके द्वारा निपटाई जाएंगी जिसको उक्त वार्ड, परिषङ्गल अथवा जिला अथवा उसका कोई आग अन्तरित हुआ है ।

जहाँ जिसी दिन प्रधान मंत्री के सभी परिषद्गत, वही और जिसी जिसी अधिकारीय समाजक अनुसूति को सैंप्रदित गर्त हो, वहाँ इन प्रधानमंत्रीओं के समाजक हो जाये वही परिषद्गतों, वहाँ और जिसी में को उसका केवलिकान होता ।

यह अधिष्ठाना । जून, 1984 से लगू होती ।

(काश्यप चन्द्र)

अवर सचिव

केन्द्रीय प्रस्तर कर, चीई

सेवा में,

प्रबलगङ्ग,

आरत सरकार प्रेस,

बम्पटडी, नई दिल्ली ।

प्रोतोलिपि बीजी प्राधिकार प्रेस ।

\* शर्मा \*